न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 64/2010

1. टीकूराम पुत्र श्योलाल जाति नायक निवासी नायको का मोहल्ला बिसाऊ
2. महावीर प्रसाद पुत्र श्योलाल जाति नायक निवासी नायको का मोहल्ला बिसाऊ
3. धन्नाराम पुत्र श्री श्योलाल जाति नायक निवासी नायको का मोहल्ला बिसाऊ

वादीगण

बनाम

1. बालचन्द पुत्र सेवालाल उर्फ सेवला जाति नायक निवासी नायको का मोहल्ला बिसाऊ
2. राधा पुत्री सेवालाल उर्फ सेवला पत्नी नोरंगलाल निवासी पिंजरापोल के पीछे नायको का मोहल्ला तहसील चिड़ावा
3. सावत्री पुत्री सेवालाल उर्फ सेवाला पत्नी भींवाराम जाति नायक निवासी राजगढ़ साखु रोड़ रेल्वे फाटक के पास तहसील राजगढ़
4. मोहनी देवी पुत्री श्योलाल पत्नी रामचन्द्र जाति नायक निवासी मोहल्ला नायकान का कोर्ट के पीछे सीकर
5. नगरपालिका बिसाऊ जरिये अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका बिसाऊ
6. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार

प्रतिवादीगण

दावा बाबत धोषणार्थ, खाता विभाजन एवं रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय

निर्णय दिनांक 21.12.2021

संक्षेप में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का तथ्य इस प्रकार है कि वाके कस्बा बिसाऊ में वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 की पैत्रिक काश्त की जमीन ख0न0 1080 तादादी 0.80 है0, ख0न0 1081 तादादी 0.70 है0, ख0न0 1082 तादादी 0.54 है, ख0न0 1083 तादादी 0.01 है0 कुल किता 4 कुल तादादी 2.05 है0 भूमि अवस्थित है। इस जमीन में 1/2 हिस्से का खातेदार वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 4 तथा 1/2 हिससे का खातेदार काश्तकार प्रतिवादी न0 1 लगायत 3 है वादीगण व प्रतिवादीगण स्व0 सुरजा के वारिसान है। सुरजा के दो पुत्र हुये, जो क्रमशः श्योलाल व सेवालाल उर्फ सेवला हुये। श्योलाल का देहान्त हो चुका है श्योलाल के वारिसान में उसके पुत्रगण वादीगण टीकूराम, महावीर प्रसाद, धन्नाराम तथा एक पुत्री मोहनी देवी हुई। सुरजाराम के दुसरे पुत्र सेवालाल उर्फ सेवला तथा उसकी पत्नी का भी देहान्त हो चुका है। उसके वारिसान में उसका पुत्र बालचन्द दो पुत्रियां राधा व सावित्री है। अन्त में वाद पत्र की धारा 14 क, ख, ग के अनुसार वाद वादीगण डिक्री किया जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुझुनू ने अपने निर्णय दिनांक 23.05.2012 के द्वारा वाद वादीगण डिक्री किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई कि ग्राम बिसाऊ तहसील झुझुनू स्थित भूमि ख0न0 1080 तादादी 0.80 है0, ख0न0 1081 तादादी 0.70 है0, ख0न0 1082 तादादी 0.54 है, ख0न0 1083 तादादी 0.01 है0 कुल किता 4 कुल तादादी 2.05 है0 में से वादीगण क्रमशः टीकूराम, महावीर प्रसाद, धन्नाराम पि0 श्योलाल एवं प्रतिवादी संख्या 4 मोहनी देवी पुत्री श्योलाल को 1/2 हक हिस्से का तथा प्रतिवादी न0 1 लगायत 4 बालचन्द पुत्र सेवालाल उर्फ सेवला, राधा सावित्री पुत्रिया सेवालाल उर्फ सेवला जाति नायक सा0 देह को 1/2 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाकर नायब तहसीलदार झुझुनू को 500/– रूपये शुल्क पर मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर मौके पर पक्षकारान के मध्य उनके हक

हिस्से के मुताबिक भौतिक बंटवारा कर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश करने हेतु प्रारम्भिक डिकी जारी की गई।

न्यायालय के उक्त प्रारम्भिक आदेश के विरूद्ध न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर कैम्प झुझुनू में अपील उनवानी बालचन्द बनाम टीकूराम दर्ज हुई। जिसमें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुझुनू के निर्णय एवं डिकी दिनांक 23.5.2012 की कियान्विति को स्थगित रखा गया। न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर कैम्प झुझुनू में विचाराधीन अपील उनवानी बालचन्द बनाम टीकूराम में आदेश दिनांक 10.03.2021 के द्वारा पक्षकारान के मध्य राजीनामा के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड कर दिया गया। चूंकि अपील प्रारम्भिक डिकी दिनांक 23.05.2012 के विरूद्ध की गई थी तथा अदालत मातहत ने अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली अपील के साथ विचारार्थ नहीं चाही गई इसलिये मूल पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुझुनू से स्थानान्तरण होकर न्यायालय हाजा में दर्ज होकर तारीख पेशी पर निरंतर रही।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर कैम्प झुझुनू में दर्ज अपील उनवानी बालचन्द बनाम टीकूराम में निर्णय दिनांक 10.03.2021 की प्रति के साथ राजीनामा पेश कर राजीनामे के आधार पर वाद डिकी किये जाने का अनुरोध किया।

हमने माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.03.2021 पर गौर फरमाया एवं पक्षकारान के मध्य हुये राजीनामे का अवलोकन किया। माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 10.03.2021 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुझुनू द्वारा जारी प्रारम्भिक डिकी दिनांक 23.05.2012 को निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया गया है अर्थात न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुझुनू द्वारा जारी प्रारम्भिक डिकी दिनांक 23.05.2012 निरस्त होने से शून्य (null and void) है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण राजीनामे के आधार पर अपना निस्तारण चाहते है।

राजीनामा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण निम्नानुसार सहमत हुये है :–

1. खसरा नम्बर 1080 तादादी 0.80 है0 में से 0.70 है0 भूमि वादी टीकूराम न0 1 लगायत 3 की खातेदारी में रहेगी।
2. जमीन खसरा नम्बर 1080 में से 0.10 है0 उतरी–पश्चिमी कोने की लम्बी टीकूराम व बालचंद के वारिसान की रहेगी।
3. जमीन ख0न0 1081 व ख0न0 1082 व ख0न0 1083 की पुरी जमीन प्रतिवादीगण व स्व0 बालाराम के वारिसान के हिस्से में रहेगी।
4. वादीगण 2 लगायत 3 की खातेदारी काश्तकारी की जमीन ख0न0 1080 में आने जाने के लिए 14 फीट का चौड़ा रास्ता ख0न0 1080, 1082 के मध्य में से उतर से दक्षिण रहेगा।
5. फरिकेन अपना–अपना खर्चा वहन करेगें।

निर्णय

अतः पक्षकारान के मध्य हुये राजीनामें के आधार पर वाद डिकी किया जाता है। ख0न0 1080 तादादी 0.80 है0 में से 0.70 है0 भूमि में वादीगण 1 लगायत 3 टीकूराम, महावीर प्रसाद व धन्नाराम, शेष 0. 10 है0 उतरी पश्चिमी कोने की लम्बी भूमि टीकुराम व बालचंद के वारिसान की रहेगी। जमीन ख0न0 1081, 1082 व 1083 की सम्पूर्ण जमीन प्रतिवादीगण व स्व0 बालाराम के वारिसान के हिस्से में रहेगी। वादीगण 2 व 3 की खातेदारी काश्तकारी की जमीन ख0न0 1080 में आने जाने के लिए 14 फीट चौड़ा रास्ता ख0न0 1081, 1082 के मध्य में से उतर से दक्षिण रहेगा। राजीनामा मूल डिकी का भाग होगा। तहसीलदार मलसीसर को तहरीर जारी हो। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/12/21

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर